न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 33/2019
GCMS No-2019/00111

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. नरसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह राजपुरोहित, (विक्रेता व मालिक), मैसर्स – भवानी स्वीट् एण्ड नमकीन सैयद हैण्डलूम के सामने, जैतारण, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 18.04.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 01.11.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स भवानी स्वीट् एण्ड नमकीन सैयद हैण्डलूम के सामने जैतारण, पाली पर गये। जिस पर अप्रार्थी श्री नरसिंह पुत्र गुमानसिंह उपस्थित मिले तथा उसकी फर्म का निरीक्षण करने पर पाया की 35 पैक पेकेट में सोन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), रखी हुई थी, जो आमजन को बिक्री हेतु रखी हुई थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), को वास्ते जांच हेतु क्रय किया, जिसके संबध में प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है, प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व मालिक को बता दिया था कि सोन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), का नमुना एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हुँ। उक्त क्रयसुदा सोन–पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), को गवाहान एंव विक्रेता की उपस्थित में चार पैक पेकेट में विभाजित कर तैयार करके लेबल लगाया गया जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरीयल नम्बर आर–840 लिखा व नमुने का विवरण अंकित किया गया प्रत्येक लेबल पर विक्रेता,गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है, उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमुना पैक पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमुना पैक पेकेट को नियमानुसार सीलबंद पैक कर अपने जाब्तें में लिया। विक्रेता ने मौके पर बिल की प्रति पेश नही की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहने पर उन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर एंव समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। एक नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति अलग से एक लिफाफा मे बंद

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कर चपडी से सील बन्द एंव सील मुहर कर स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 02.11.2018 को जमा रसीद प्राप्त की। दो सीलबन्द नमूना पैक पेकेट तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर सील मुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 02.11.2018 को मैने स्वंय ने जमा कर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस 891/एक्ट/2018/910 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा मालुम हुआ की अप्रार्थी नरसिंह की फर्म मैसर्स भवानी स्वीट् एण्ड नमकीन सैयद हैण्डलूम के सामने जैतारण, पाली से खाद्य पदार्थ सोन–पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), का नमुना संख्या आर 840, Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards 2006 स्तर का का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards 2006 खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड), का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से लिया गया खाद्य पदार्थ सोन–पपडी(बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का उत्पादन मेरे द्वारा नही किया जाता है मेरे द्वारा कम्पनी से तैयार सोन–पपडी(बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) जैसे मुझे प्राप्त होता है, उसमे बिना छेडछाड किये बिना तथा किसी प्रकार की मिथ्याछाप या लेबलिंग बिना आमजन को विक्रय किया जाता है। उक्त सोनपपडी(बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी गई है, जो खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ जरिये बिल खरीदा था लेकिन कही खो जाने से पेश करने में असमर्थ हुं। अतः मुझ अप्रार्थी पर कम से कम जुर्माना आरोपित करने का श्रम करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2018 को अप्रार्थी की फर्म से सोन–पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–840 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./891/एक्ट/2018/910 दिनांक 21.12.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–840 को Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards 2006 माना है, खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर List of Ingredients - Sugar,clarified, butter,Fine wheat flour gram flour, Almond Pistachio used in the products not mentioned on the label of sample contravention of Regulation No 2.2.2.2(f) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulation,2011 का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards 2006 खाद्य वस्तु का विर्निमाण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली